



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221803
CG-DL-E-17092020-221803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942

No. 463]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 569(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अनुसरण में भारत सरकार, भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 12.06.2020 को प्रकाशित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 05.06.2020 के सा.का.नि. 373(अ) में भारत सरकार की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित सुधार करती है, नामतः

“उक्त अधिसूचना के प्रकाशित हिंदी पाठ में पृष्ठ 1 के पैरा 1(1) में वर्ष 2019 को 2020 पढ़ा जाए”

[फा. सं. पी-23011/24/2007-एमकेटी/जीपी]

आशीष चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th September, 2020

G.S.R. 569(E).—In pursuance of clause (g) of sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Government of India hereby makes the following correction in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, G.S.R. 373(E) dated 05.06.2020 published in the Extraordinary Gazette of India on 12.06.2020 namely:

“In the said notification published in Hindi version on Page 1 at Para 1 (1), the year 2019 may be read as 2020”

[F. No. P-23011/24/2007-Mkt/GP]

ASHISH CHATTERJEE, Jt. Secy.